न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 06/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
तिलोकनाथ पुत्र चतरनाथ जाति नाथ निवासी वोपारी तहसील मारवाड जंक्शन		सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः–29/9/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 1437/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जरिये पत्रांक/कोर्ट/2015/30 दिनांक 21.02.2017 को रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम वोपारी के खसरा नम्बर 378 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म जा0दो0 की भूमि के सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए 3 माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कोई नया अतिक्रमण नही है तथा न ही अपीलाण्ट अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है। यह भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों की खातेदारी भूमि है, जिसके पुराने खसरा नम्बर 75 है तथा नये खसरा नम्बर 108 है। इस प्रकार अपीलाण्ट अतिक्रमी की श्रेणी में नही आते है। अपीलाण्ट को उकत भूमि से कभी भी बेदखल नही किया है, इस कारण अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आते है। अपीलाण्ट को पूर्व में कब हटया गया, ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जो सिविल कारावास का दण्ड दिया है, वो गैर वाजिब है। उक्त भूमि सम्वत् 2010 से 2019 तक कंवरनाथ चेला देवनाथ जाति नाथ सा0 डोलीदार खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। इसके पश्चात सम्वत् 2021 से 2036 तक चतरनाथ चेला कवरनाथ खातेदार के नाम दर्ज हुई। जिसमें उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष एक सिलिंग प्रकरण चला, जिसमें पारित आदेश दिनांक 28.03.1978 के तहत 30 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों के नाम पर छोडी, हस्तगत प्रकरण की विवादित भूमि उस 30 हेक्टेयर में सम्मिलित है। इस प्रकार अपीलाण्ट वादस्थ भूमि के खातेदार काश्तकार है, जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखल नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नही किया तथा न ही साक्ष्य सबूतों की कोई जांच की। अपीलाण्ट के दादा मठाधीश थे, ऐसी दशा में रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट के तहत जागीरी अधिग्रहण होने के बाद मठाधीश खुदकाश्त थे, जिनके नाम की खुदकाश्त है, वही काश्त माना जायेगा, ऐसी दशा में उक्त भूमि अपीलाण्ट के पूर्वजों की खुदकाश्त है। इस कारण अपीलाण्ट उक्त भूमि के खातेदार है। मात्र पटवारी हल्का की गलती एवं पूर्ण जांच नही करने के कारण रिकार्ड ऑफ

अति. जिला कलक्टर, पाली

राईट का इन्द्राज अपीलाण्ट के पक्ष में नही किया गया है, जो राजस्व अधिकारियों की गलती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील कार्यवाही की गई है, जो सिलि प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के तहत सब ज्युरिश की श्रेणी में आता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश गैर कानूनी है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट की फसल खडी थी, जिसे बिना किसी आदेश के कुर्क किया गया है, जबकि भू0अ0नि0 एवं पटवारी को ऐसा करने की कोई शक्तियां प्रदत्त नही है। न तो कुर्क करने के आदेश पारित किया गया तथा न ही नीलामी करने का। बिना किसी आदेशों के ये कार्यवाहीयां की गई है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने की नियत से, विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो गैर कानूनी है एवं जो सजा का आदेश पारित किया है, वह गैर वाज़िब है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम वोपारी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 378 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म जा0दो0 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम वोपारी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 378 रकबा 2.50 हैक्टेयर किस्म जा0दो0 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलोकनाथ को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती कब्जा होना तथा पूर्व में बेदखल किया जाना जाहिर किया। इसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न प्रकरण संख्या 156/16 सरकार बनाम तिलोकनाथ में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 की पालना में तैयार की गई फर्द कब्जा सुपुर्दगी से होती है, जिसमें अपीलाण्ट ने उक्त भूमि से अपना कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में पटवारी हल्का को सुपुर्द किया जाना स्वीकार किया है। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में इसी भूमि के सम्बन्ध में सीलिंग प्रकरण विचाराधीन होना जाहिर किया। सम्बन्धित दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित के सम्बन्ध में पुराने सीलिंग प्रकरण के तहत कार्यवाही आरम्भ कर बाद सुनवाई दिनांक 28.03.1978 से भूमिधारी के खाते में 92.10 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहण के आदेश पारित किये। सीलिंग कार्यवाही में पारित निर्णय के विरूद्ध दो अपीले राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो क्रमशः निर्णय दिनांक 22.03.1993 एवं 13.03.1995 से खारिज कर दी। इसके पश्चात प्रार्थी के पिता चतरनाथ ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो क्रमशः निर्णय दिनांक 22.03.1993 एवं 13.03.1995 से खारिज कर दी। इसके पश्चात अपीलाण्ट के पिता चतरनाथ ने राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 09.05.2005 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध चतरनाथ ने नजरसानी प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 05.12.2012 को स्वीकार कर निगरानी को पुनः नम्बर पर लेकर समस्त आराजी डोली आसननाथ की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध अमोलक वगैरा ने नजरसानी प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 18.12.2015 को स्वीकार कर निगरानीं को पुनः नम्बर पर लिये जाने एवं अमोलक वगैरा को पक्षकार बनाने के आदेश पारित किये। इस प्रकार आदेश दिनांक 05.12.2012 के पूर्व की स्थिति बहाल हो चुकी थी। इसके पश्चात इस सम्बन्ध में माननीय एकलपीठ द्वारा दो बिन्दुओं को निर्णित करने हेतु मण्डल की वृहदपीठ को रेफर कर दिया। वे दो बिन्दु इस प्रकार है – 1, क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित रिव्यू पिटिशन को रिव्यू करने की कानून में अनुमति है ?, 2, क्या अजनबी व्यक्ति राजस्व मण्डल के समक्ष धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत रिव्यू पिटिशन प्रस्तुत कर सकता है ? इस आदेश के विरूद्ध दीनानाथ ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की, जो 25.07.2017 को याचिकाकर्ता द्वारा विड्रो की जा चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में सीलिंग प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 05.05.2016 प्रभावशील है तथा सीलिंग प्रकरण विचाराधीन है। इस सीलिंग प्रकरण में डोली के तथ्य, खातेदारी की है अथवा नही ? आदि तथ्य समाहित है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आर0आर0डी0 1994 पेज 471, आर0आर0टी0 2006 (1) पेज 661, आर0आर0डी0 1996 पेज 585, आर0आर0डी0 1988 पेज 690 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय है, किन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। आर0आर0डी0 1994 पेज 501 डूंगरसिंह बनाम सरकार में यह प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 91 -- Ceiling case of assessee pending before Authorised Officer for reconsideration in the light of the orders of the Board-- Intiation of proceeding u/s 91 was uncalled for." इसमें माननीय एकलपीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "जब सीलिंग प्रकरण में कोई भूमि अधिग्रहण की जाती है, तो असेसी अधिक भूमि को राज्य हित में समर्पित कर देता है और उसके पश्चात अथवा समर्पण नही करने की स्थिति में ही सरकार अधिग्रहित भूमि पर कब्जा ले सकेगी।" हस्तगत प्रकरण में भूमि सरकार के पक्ष में अधिग्रहण की जा चुकी है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलाण्ट का कथन है कि उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 323, 325, 328 थे, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 378 है, इसमें से खसरा नम्बर 378 की भूमि सीलिंग प्रकरण संख्या 1/77 में पारित आदेश दिनांक 28.11.1978 की पालना में अधिग्रहण की गई है तथा शेष भूमि चतरनाथ की खातेदारी भूमि थी। सिलसिलेवार न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में चतरनाथ द्वारा यह स्वीकार किया कि उक्त भूमि डोली की है तथा इसके विपरित उनके द्वारा भूमि को अपना बताते हुए हस्तान्तरण भी किये है। अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी की है, जो सम्भवतः सीलिंग में अधिग्रहण होकर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज हुई है अथवा डोली की है, जिसे सीलिंग प्रकरण संख्या 1/77 सरकार बनाम चतरनाथ वगैरा में उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्वीकार किया है? इन समस्त तथ्यों का निर्धारण सीलिंग प्रकरण में होने वाले अन्तिम निर्णय से होगा। इन तथ्यों को हस्तगत प्रकरण में रेखांकित किया जाना न्यायोचित भी नही है, किन्तु यह प्रमाणित है कि प्रकरण में जैर अपील आदेश से सम्बन्धित भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है, जिसकी देखरेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बतौर भूमिधारी तहसीलदार की होती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैर अपील आदेश से सम्बन्धित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसर सिवायचक दर्ज है तथा सिवायचक भूमि के रखरखाव एवं हितों की रक्षा हेतु विधि अनुसार समस्त कार्यवाही करना बतौर भूमिधारी तहसीलदार के कर्तव्य में शुमार होता है। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि बिना किसी आदेश के भूमि से फसल कुर्क कर नीलाम करने के आदेश पारित किये गये। जैर अपील प्रकरण में तहसीलदार मारवाड जंक्शन के आदेश क्रमांक/राजस्व/12 दिनांक 24.01.2017 के द्वारा पटवार मण्डल वोपारी के धारा 91 के प्रकरणों में अतिक्रमियों द्वारा बोई गई खडी फसल को कुर्क कर नीलाम करने हेतु भू0अ0नि0 माण्डा को आदेश दिये गये है। हालांकि इस आदेश का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में कोई अंकन नही है, किन्तु यह स्वीकृत तथ्य है कि उपरोक्त क्रमांक के जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा ही यह आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उनको उक्त भूमि से कभी बेदखल नही किया गया, जबकि जैर अपील पत्रावली के संलग्न प्रकरण संख्या 156/2016 सरकार बनाम तिलोकनाथ में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 की पालना मे तैयार की गई फर्द कब्जा सुपुर्दगी की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि स्वयं तिलोकनाथ द्वारा उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा कर कब्जा राज्य सरकार के हक में सुपुर्द करना स्वीकार किया है, जिसे अपीलाण्ट द्वारा नकारा नही है तथा न ही इसका कोई खण्डन किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को पूर्व में इस भूमि से बेदखल किया जा चुका है तथा अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण कर काश्त की गई है। जिसके कारण स्पष्टतः अपीलाण्ट आदतन अतिक्रमी की श्रेणी में परिलक्षित होता है तथा अतिक्रमी द्वारा किया गया कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में शुमार होने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा विधि में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 1437/2016 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली